भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-831

दिनांक 24 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

सीमा पार विद्युत पारेषण

831. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत ने जिन देशों के साथ सीमा पार विद्युत पारेषण लाइनों का प्रस्ताव रखा है, वहां कार्यान्वयन की प्रक्रियाधीन और वर्तमान में कार्यशील लाइनों की स्थिति का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त सीमा पार विद्युत पारेषण लाइनों के माध्यम से विद्युत पारेषण और रखरखाव के लिए कुल कितनी निधि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है;

(ग) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसी सीमा पार विद्युत पारेषण लाइनों के माध्यम से देश-वार कुल कितनी विद्युत का आयात या निर्यात हुआ है; और

(घ) क्या सरकार के पास सीमा पार विद्युत पारेषण के माध्यम से विद्युत आयात को कम करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत की नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के साथ सीमा पार विद्युत पारेषण लाइनें कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका के साथ सीमा पार विद्युत पारेषण लाइनों की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और सिंगापुर के साथ नए सीमा पार इंटर-कनेक्शनों पर चर्चा चल रही है।

(ख) : सीमा पार विद्युत पारेषण लाइनें आमतौर पर पारेषण लाइसेंसधारियों के माध्यम से विकसित की जाती हैं और पारेषण शुल्क के माध्यम से वसूली की जाती है। विद्युत मंत्रालय द्वारा सीमा पार संपर्कों के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की जाती है।

(ग) : सीमा पार विद्युत पारेषण लाइनों के माध्यम से आयातित या निर्यातित विद्युत की कुल मात्रा निम्नानुसार है:

मिलियन यूनिट में आयात/निर्यात

वित्त वर्ष	**भूटान**		**बांग्लादेश**		**नेपाल**		**म्यांमार**	
	आयात	**निर्यात**	**आयात**	**निर्यात**	**आयात**	**निर्यात**	**आयात**	**निर्यात**
2020-21	9381	219	0	7555	5	1870	0	9.24
2021-22	7995	322	0	7327	179	2127	0	8.81
2022-23	7253	522	0	8581	1385	1552	0	9.8
2023-24	5730	1868	0	8394	1725	1850	0	8.78
2024-25	6281	1764	0	8084	2150	1686	0	9.08
2025-26 (अप्रैल-मई 2025)	803	295	0	1386	34	581	0	1.44

(घ) : पड़ोसी देशों के साथ विद्युत का निर्यात और आयात, प्रत्येक देश में समयानुकूल आवश्यकता में बदलाव से प्रेरित होता है। यह सामंजस्य एक देश की अतिरिक्त विद्युत को दूसरे देश में समयानुकूल कमी को पूरा करने में सक्षम बनाता है, जिससे संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है और पूरे क्षेत्र में विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित होती है।

****